**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, महराजगंज**

उपस्थितः सुन्दर लाल, एच0जे0एस0

**जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 1566/2022**

UPMH010032432022

पूनम देवी उम्र करीब 40 वर्ष पत्नी बुद्धू शर्मा
निवासी ग्राम जंगल बडहरा टोला–हड़तोड़वा, थाना–पनियरा
जनपद–महराजगंज।

.......अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी

अपराध सं0: 22/2022
मुकदमा नं0–4560/2022
धाराः323,504,,325,308 भा0दं0सं0
थानाः पनियरा
जनपदः महराजगंज

03.11.2022 **निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त पूनम देवी द्वारा अपराध सं0:22/2022 मुकदमा नं0–4560/2022 धाराः 323,504,325,308 भा0दं0सं0 थाना–पनियरा, जनपद–महराजगंज में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में उसका कथन है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता को उक्त मुकदमें में फर्जी फंसाया गया है। पुरानी रंजिश के कारण उक्त मुकदमें में फंसाया गया है। प्रथमसूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रथमसूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता एक पर्दानशीन औरत है। इसके पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ है और न ही लम्बित है और न ही खारिज है। अतः उन्हे जमानत पर रिहा किया जावे।

3. अभियोजन कथानंक के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक15.01. 2022 को समय 2.00बजे उसके पट्टीदार चन्दन शर्मा, पूनम देवी, वीरू, मनीषा ने मिलकर वादी को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा से मारे पीटे, सिसे उसके सिर पर काफी चोटे आयी। जब उसकी पत्नी फुलेश्वरी देवी व उसकी लड़की प्रमिला बीच बचाव करने आयी तो उसे भी अभियुक्तगण मिलकर लाठी डण्डा से मारे पीटे।

Digitally signed by SUNDER LAL
Date: 2022.09.06 11:49:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता व अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को लाठी डण्डा से मार पीट कर सिर व हाथ में गम्भीर चोट कारित की गयी है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो वह पुनः अपराध की पुनरावृति करेगा। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाय।

5.– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 15.01.2022 की है जब कि घटना की प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 26.01.2022 को पंजीकृत करायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में एन0सी0आर0 सं0–13/22 धारा–323,504 भ0द0स0 हुई, बाद में धारा–325,308 भा0द0स0 की बृद्वि हुई है, जो चोटे आयी है वह साधारण प्रकृति की है। अतः अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाय।

6. मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रस्तुत प्रकरण के सह अभियुक्तगण का मामला किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित है। अभियुक्ता का प्रस्तुत प्रकरण में कोई भूमिका परिलक्षित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में एन.सी.आर. में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बाद में दौरान विवेचना धारा–325,308 भा0द0स0 की वृद्वि की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा अभियुक्ता एक महिला है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों देखते हुये प्रार्थीनी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त पूनम देवी मु0अ0सं0– 22/2022 मु0नं0– 4560/2022 अन्तर्गत धारा–323,504,325,308 भा0द0स0 थाना– पनियरा, जनपद– महराजगंज में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0– 1566/2022 स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा मु0–50,000 रूपये की व्यक्तिगण बन्धपत्र एवं उतने ही धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांकः 03.11.2022

(सुन्दर लाल)
आई डी यू0पी0–6159
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।